

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 27/2019

नानगा पुत्र सुखदेव जाति मीना निवासी ग्राम रूढमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा।

.. अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।

...रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार दौसा दिनांक 29.10.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम नानगा मु0सं0 173/2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित

- 1.श्री सीताराम मीना , अधिवक्ता अपीलांट
- 2.श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 02.07.2019

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 29.10.2018 को ग्राम रूढमल का बास तहसील दौसा के आ0ख0 67 रकबा 0.10 है0, 89 रकबा 0.10 है0, 114 रकबा 0.10 है0 कुल 0.30 है0 किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोंड को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा निहायत झूठी रिपोर्ट की है। अपीलांट ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया। अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं बिना मौके की जाँच किये बिना निर्णय पारित किया है। कानूनन अपीलांट को नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित करना चाहिए किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रक्रिया का पालना नहीं करते हुए पक्षपातपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया। जो नियमों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों कि विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।



राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपी0 को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार अपीलांट बाद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में चरागाह भूमि पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कौफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। पत्रावली में फसल जब्ती एवं नीलामी की रिपोर्ट संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है। अपीलांट द्वारा वरवक्त न्यायालय में उपस्थित होकर खसरा नंबर 67, 89, 114 किस्म चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करने बाबत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलांट के शपथ-पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक: 02 जुलाई, 2019 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)

जिला कलेक्टर, दौसा

(अविचल चतुर्वेदी)

जिला कलेक्टर, दौसा

